

UPGK010023062026



न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 981/2026

काजल निलेश कुमार दवे पुत्री- निलेश कुमार दवे, उम्र- करीब 27 वर्ष, निवासी- गनपति मंदिर रोड,
नन्दुरबार, थाना- नन्दूरबार, जनपद- नन्दूरबार (महाराष्ट्र)।

.....आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

मु0अ0सं0- 846/2025

अंतर्गत धारा- 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2),

61(2) भा०न्या०सं०

थाना- रामगढ़ताल, जनपद-गोरखपुर।

आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 483 के प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदिका/अभियुक्ता काजल निलेश कुमार दवे की तरफ से मु0अ0सं0- 846/2025, अंतर्गत धारा- 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2), 61(2) भा०न्या०सं०, थाना- रामगढ़ताल, जनपद-गोरखपुर के अन्तर्गत प्रस्तुत है।

सुनवाई के समय बार-बार पुकार कराये जाने के बावजूद आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण में कोई रुचि नहीं है। अतः आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र उसकी ओर से किसी के उपस्थित न आने के कारण निरस्त किया जाता है।

दिनांक-17.03.2026

(राज कुमार सिंह)

सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

J.O. Code-1889